



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 28.09.2024

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 270/24 धारा
191(2)/121(1)/132/115(2)/ 351(2)/352/324(4) बीएनएस से सम्बन्धित 05
अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक

28.09.2024 को श्री
तेजप्रताप राव अवर
अभियन्ता 33/11
केवी विद्युत उपकेन्द्र
किरठल ने लिखित
तहरीर दी कि आज



दिनांक 28.09.2024 को विद्युत बिल बकाया वसूली के दौरान अभियुक्तों बाबूराम पुत्र
महीपाल, उसके पुत्र व भाईयों व 15-20 अज्ञात व्यक्ति निवासीगण ग्राम किरठल थाना
रमाला जनपद बागपत द्वारा एक राय होकर उसके व उसके स्टाफ के साथ मारपीट की
गयी व सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए सरकारी दस्तावेज फाड़ दिये तथा गाली-
गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर
थाना रमाला पर मु0अ0सं0 270/24 धारा 191(2)/121(1)/132/115(2)/351(2)/352/
324(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी
हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0
270/24 धारा 191(2)/121(1)/132/115(2)/351(2)/352/324(4) बीएनएस से सम्बन्धित
05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है ।

उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-बाबूराम पुत्र महीपाल निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-अशोक पुत्र महीपाल निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-रिंकू पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 4-अंकुर पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 5-संजू उर्फ संजीव पुत्र महीपाल निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1-उ0नि0 श्री राहुल प्रताप सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 251 अजय कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-का0 19 सोनित कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 4-हो0गा0 586 उदयवीर थाना रमाला जनपद बागपत ।





प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 28.09.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 534/24 धारा 420/467/468/471 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.06.2024 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी सुरेशचन्द शर्मा संग्रह अमीन तहसील बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त प्रमोद मण्डालिया पुत्र



रामदिया निवासी ग्राम थाना कला थाना खरखौदा जनपद सोनीपत हरियाणा द्वारा कोर्ट रोड पर लवकुश जनसेवा केन्द्र के नाम से फर्जी जनसेवा केन्द्र का संचालन किया जा रहा है तथा उक्त जनसेवा केन्द्र से पैनकार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, सामान्य निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड व मोहर जनसेवा केन्द्र बागपत तथा भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र बरामद हुए हैं। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 534/24 धारा 420/467/468/471 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 534/24 धारा 420/467/468/471 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

प्रमोद मण्डालिया पुत्र रामदिया निवासी ग्राम थाना कला थाना खरखौदा जनपद सोनीपत हरियाणा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-निरीक्षक क्राइम श्री रामकुमार कुन्तल थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 यूटी श्री अंकित कुमार कुन्तल थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-म0का0 523 कविता थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 28.09.2024

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 645/24 धारा 305(ए)/317(2)/317(5) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किये गए 06 मोबाईल फोन बरामद ।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनांक 28.09.2024 को थाना बडौत पर वादी श्री राहुल कुमार पुत्र रोहताश कुमार निवासी ग्राम बडका थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त विककी पुत्र सोमवीर निवासी ग्राम बडका थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा उसके घर से उसके 02 मोबाईल फोन चोरी कर लिये गए हैं । अभियुक्त को वादी तथा जनता द्वारा पकड़ थाना बडौत पर लाया गया तथा थाना बडौत पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से



चोरी किये गए 06 मोबाईल फोन बरामद हुए। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 645/24 धारा 305(ए)/317(2)/317(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विककी पुत्र सोमवीर निवासी ग्राम बडका थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किये गए 06 मोबाईल फोन।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-है0का0 357 अजय सिंह थाना बडौत।
- 2-का0 1085 आशीष यादव थाना बडौत।
- 3-एचजी 303 सिनोद कुमार थाना बडौत।



प्रेस नोट
थाना बिनौली

दिनांक 28.09.2024

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 172/24 धारा 363/376 भादवि व 3/4 पोकसो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 172/24 धारा 363 भादवि में वांछित 01



अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मोहित पुत्र प्रमोद निवासी ग्राम सेवापुर थाना झिंझाना जनपद शामली ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री शिव सिंह मीणा थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 669 रामकिशन थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना छपरौली

दिनांक 28.09.2024

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 235/24 धारा 70(2)/115(2)/351(2)/
123 बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 235/24 धारा 115(2)/351(2)/123/65(1)



बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उक्त अभियोग में दिनांक 21.09.2024 को थाना छपरौली पुलिस द्वारा अभियुक्त मोहित पुत्र सुरेन्द्र उर्फ सुलेन्द्र निवासी ग्राम लूम्ब थाना छपरौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अर्जुन पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम लूम्ब थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्र0नि0 श्री कुलदीप सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2-का0 633 जहाँगीर पंवार थाना छपरौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना खेकडा

दिनांक 28.09.2024

थाना खेकडा पुलिस ने 01 वारंटी को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा 01 वारंटी को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मनीष उर्फ सीटू पुत्र प्रेमसिंह निवासी करबा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री अबरार हुसैन थाना खेकडा ।
- 2-का0 535 अतुल कुमार थाना खेकडा ।
- 3-का0 555 रवि कुमार थाना खेकडा ।



प्रेस नोट

थाना बिनौली

दिनांक 28.09.2024

थाना बिनौली पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्त का नाम व पता-

प्रताप पुत्र बाले निवासी ग्राम बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री दिव्य कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2-है0का0 313 सत्यवीर शर्मा थाना बिनौली जनपद बागपत ।